

वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, बीकानेर

क्रमांक :- लेखा / देव / 2022 / 1595

दिनांक :- 27/09/22

ई-टेंडर सूचना संख्या : 11 - वर्ष 2022-23

इस विभाग के अधीन राजकीय आत्म-निर्भर श्रेणी मंदिर श्री राजरतनबिहारीजी मंदिर एवं श्री रसिक शिरोमणि जी रतनबिहारी पार्क बीकानेर के पीछे विभागीय धर्मशाला के पूर्व में स्थित 2090 वर्ग मीटर (55X38 मीटर) की खुली भूमि पर पार्किंग हेतु वार्षिक राशि 10,80,000/-रु० के आधार पर 3 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए अस्थाई रूप से किराये पर पार्किंग हेतु निम्नानुसार ई-बोली आमंत्रित की जाती है -

क्र. सं.	खुली भूमि / पार्किंग स्थल का विवरण	अनुमानित राशि (आरक्षित मूल्य)	निविदा शुल्क (रुपये में)	बोली प्रतिभूति ड्राफ्ट (रुपयों में)	ई-बोली प्रक्रिया शुल्क रु. में
1	2	3	4	5	6
1	राजकीय आत्म-निर्भर श्रेणी मंदिर श्री राजरतनबिहारीजी मंदिर एवं श्री रसिक शिरोमणि जी रतनबिहारी पार्क बीकानेर के पीछे विभागीय धर्मशाला के पूर्व में 2090 वर्ग मीटर (55X38 मीटर) की खुली भूमि पर 3 वर्ष के लिए किराये पर पार्किंग हेतु - 90,000/- रुपये मासिक किराया (50 प्रतिशत कमी पश्चात निर्धारित मासिक किराया के आधार पर)	अनुमानित वार्षिक मूल्य राशि 10,80,000/- रु०	2000/-	21600 (अनुमानित मूल्य का 2 प्रतिशत)	500/-
बिड संख्या UBN NO.					
बोली दस्तावेज बिक्री की दिनांक, समय एवं दस्तावेज के प्रस्तुत करने की विधि		दिनांक 27.09.2022 से दिनांक 10.10.2022 तक (ऑनलाईन वेबसाईट द्वारा)			
प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षरित बोली दस्तावेज ई-प्रोक साईट पर ऑनलाईन जमा कराने की अन्तिम दिनांक एवं समय		दिनांक 27.09.2022 से दिनांक 10.10.2022 शाम 6 बजे तक			
बोली/निविदा शुल्क, बोली प्रतिभूति, प्रोसेसिंग फीस के डीडी प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक एवं समय		दिनांक 11.10.2022 समय प्रातः 11.30 बजे तक			
तकनीकी बिड खोले जाने की दिनांक एवं समय व स्थान		11.10.2022 समय दोपहर 12.00 बजे कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान बीकानेर			
वित्तीय बिड खोलने की दिनांक व समय व स्थान		11.10.2022 समय दोपहर 4.00 बजे कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान बीकानेर			


सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
बीकानेर

शर्तें:-भाग अ

1. यह निविदा/बोली वेबसाइट [www. sppp.rajasthan.gov.in](http://www.sppp.rajasthan.gov.in) तथा विभागीय वेबसाइट [www. devsthan.rajasthan.gov.in](http://www.devsthan.rajasthan.gov.in) पर देखी/डाउनलोड की जा सकती है। निविदा/बोली में भाग लेने हेतु वेबसाइट [www. eproc.rajasthan.gov.in](http://www.eproc.rajasthan.gov.in) पर द्वि-भाग बोली सम्बन्धी निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करते हुए वेबसाइट पर उपलब्ध इलैक्ट्रॉनिक फारमेट के माध्यम से ही ऑनलाईन सम्बन्धित अभिलेख अपलोड एवं निविदा दर प्रस्तावित किये जा सकेंगे।
2. निविदा/बोली दर वेबसाइट [http:// www. eproc.rajasthan.gov.in](http://www.eproc.rajasthan.gov.in) पर निविदा सूचना संख्या 11 वर्ष 2022-23 में निर्धारित दिनांक एवं समय तक डाउनलोड/अपलोड करवाया जा सकता है एवं इलैक्ट्रॉनिक फारमेट में वेबसाइट [http:// www. eproc.rajasthan.gov.in](http://www.eproc.rajasthan.gov.in) पर अपलोड किये गए प्रस्ताव प्रथम चरण में तकनीकी बिड/लिफाफा पर निर्धारित दिनांक एवं समय तक इस कार्यालय में डाउनलोड की जावेगी। तकनीकी बिड के मूल्यांकन में योग्य पाये गये व्यवसायियों /फर्मों की वित्तीय बिड खोलने के संबंध में पृथक से सूचना दी जाएगी। यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो अगले कार्य दिवस को उसी समय व उसी स्थान पर सम्बन्धित कार्यवाही की जावेगी।
3. उपरोक्त सारणी के कॉलम 4 व 5 में दर्शाई गई बोली शुल्क व धरोहर राशि के अलग-अलग डी.डी. सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग बीकानेर के नाम बीकानेर में भुगतान योग्य बनवानी होगी। क्रम संख्या 6 में अंकित प्रक्रिया शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट मैनेजिंग डायरेक्टर आर.आई.एस.एल. जयपुर के पक्ष में जयपुर में भुगतान योग्य बनवाना होगा। उक्त तीनों डी.डी. की प्रति आनलाईन रूप से अपलोड करनी होगी। उपरान्त निविदा/बोलीदाता द्वारा बोली शुल्क, धरोहर राशि व प्रक्रिया शुल्क के मूल डिमाण्ड ड्राफ्ट पर निर्धारित दिनांक एवं समय तक अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जमा कराने आवश्यक है अन्यथा सम्बन्धित बोलीदाता के ऑनलाईन प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जावेगा।
4. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है।
5. निर्धारित दिनांक को बोली खोलने के उपरान्त प्रस्तावित दर पर कार्य में असमर्थता या दर में संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा। ऐसा होने पर धरोहर राशि जब्त/शास्ति एवं आगामी बोली से वंचित/अयोग्य आदि की नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
6. ई-बोली प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अन्य आवश्यक निर्देश।
(अ) इस कार्य में रूचि रखने वाले एव निविदा में भाग लेने के इच्छुक पंजीकृत फर्मों/कम्पनी को इन्टरनेट साईट [http:// www. eproc.rajasthan.gov.in](http://www.eproc.rajasthan.gov.in) पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाइन बोली में भाग लेने के लिए डिजिटल सार्टिफिकेट, इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलैक्ट्रॉनिक बोली में लॉग-ईन/साईन करने हेतु काम आयेगा। बोलीदाता उपरोक्त डिजिटल सार्टिफिकेट सी.सी.ए. (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेंसी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन बोलीदाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सार्टिफिकेट है, नया डिजिटल सार्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।



parking tender 2022-23

(ब) बोलीदाताओं को बोली प्रपत्र इलैक्ट्रॉनिक फारमेट (शुल्क, तकनीकी, वित्तीय आदि) में वेबसाइट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा अन्यथा बोली अमान्य होगी। कोई भी निलामी प्रस्ताव भौतिक फार्म में स्वीकार नहीं होगा।

(स) इलैक्ट्रॉनिक बोली प्रपत्र को अपलोड कराने से पूर्व बोलीदाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि बोली प्रपत्र से सम्बन्धित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्वयं हस्ताक्षर युक्त स्कैन संलग्न कर दी गई है। यथा शुल्क की फोटोप्रतियां, पहचान पत्र, पेन कार्ड, पंजीयन प्रमाण पत्र, जी.एस.टी. प्रमाण पत्र आदि।

(द) निर्धारित दिनांक तक कोई बोलीदाता बोली दस्तावेज इलैक्ट्रॉनिकली अपलोड कराने में किसी कारण से असफल/देरी हो जाती है तो उसका जिम्मेवार विभाग नहीं होगा।

(र) बोली के प्रपत्रों में आवश्यक सभी कॉलमों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑन लाइन किया जावे।

7. शर्तयुक्त बोली/निविदा दर मान्य नहीं होगी।
8. बोली की अन्य शर्तें/विवरण की जानकारी किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय में प्राप्त की जा सकती है।
9. बोली स्वीकृति की सूचना उपरान्त सात दिवस में अनुबन्ध तहरीर कर अनुबन्ध निष्पादन करना होगा। अन्यथा विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। ठेके की स्वीकृति की सूचना देते ही 7 दिवस में ठेकेदार को 500 रूपयें के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा अन्यथा धरोहर राशि जप्ती की कार्यवाही की जाकर आपकी बोली निरस्त कर दी जावेगी।
10. पार्किंग स्थल विभाग द्वारा चिन्हित कर उपलब्ध कराया जाएगा। वाहन पार्किंग ठेकेदार द्वारा प्रत्येक वाहन के लिए एक ही नम्बर के दो कूपन काटे जाएंगे जिनमें से एक कूपन वाहन पर लगाया जाएगा तथा दूसरा कूपन वाहन जमाकर्ता को दिया जाएगा। सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग बीकानेर के अधिकारी/कर्मचारी एवं अन्य राजकीय वाहनों को छोड़कर संवेदक द्वारा 12 घंटे के हिसाब से सर्वसाधारण से निम्न किराया वसूल किया जाएगा :-

क्रं.स.	वाहन	राशि (प्रति वाहन)	
		प्रातः कालीन	रात्रि कालीन
1	साईकिल	5 रु	10 रु
2	दुपहिया व तिपहिया वाहन	10रु	20 रु
3	कार/जीप/चौपहिया वाहन	20 रु	40 रु

- पार्किंग परिसर में लोगो द्वारा स्टेण्ड पर दिन में एक बार से अधिक पार्किंग करने पर प्रत्येक 12 घंटे के हिसाब से वाहन पार्किंग हेतु निम्नानुसार राशि वसूल की जाएगी जिसके पास संवेदक द्वारा पृथक से जारी किया जाएगा :-

क्रं.स.	वाहन	राशि (प्रति वाहन)
1	साईकिल	10 रु
2	दुपहिया एवं तिपहिया वाहन	20 रु
3	कार/जीप/चौपहिया वाहन	40 रु

- पार्किंग हेतु मासिक किराया निम्नानुसार वसूल किया जा सकेगा :-

क्रं.स	वाहन	राशि (प्रति वाहन)
1	साईकिल	100 रु
2	दुपहिया एवं तिपहिया वाहन	250 रु
3	कार/जीप/चौपहिया वाहन	500 रु

- तीन दिन तक किसी व्यक्ति द्वारा अपना वाहन नहीं ले जाने पर संवेदक द्वारा वहन निकटतम थाने में जमा करवाकर देवस्थान विभाग कार्यालय में सूचना दी जाएगी
- उक्त राशि से ज्यादा राशि लेने पर यदि कोई शिकायत प्राप्त हुई/अद्योहस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में आई तो ठेका निरस्त करने की कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी ।

नोट:- 01. दिन का समय प्रातः 6.00 AM से 8.00 PM तक होगा एवं रात्रिकालीन समय रात 8.00 PM से प्रातः 6.00 AM तक होगा ।

02. मासिक पास की अवधि अंग्रेजी कलेण्डर के माह की तारीखों के अनुसार होगी ।

03 सर्व साधारण द्वारा अपना वाहन स्टेण्ड पर जमा करवाने पर संवेदक द्वारा एक कूपन दिया जायेगा , जिस पर संवेदक का नाम, टोकन नं0, निर्धारित शुल्क, किस्म वाहन व नम्बर एवं समय आदि अंकित होगा ।

11. ठेकेदार द्वारा पार्किंग स्थल पर खड़े किये जाने वाले वाहन के मालिको को टोकन जारी किया जावेगा । टोकन पर वाहनो के प्रकार अनुसार शुल्क राशि अंकित करनी होगी । निर्धारित शुल्क से अधिक राशि ठेकेदार द्वारा वाहन मालिक से वसूल नहीं की जावेगी । इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर प्रथम शिकायत पर 500/- रूपये एवं द्वितीय शिकायत पर 1000/- रूपये पेनेल्टी लगाई जावेगी व तीसरी शिकायत पर 2000/-रु पेनल्टी व बाद में ठेका निरस्त की कार्यवाही की जायेगी पार्किंग ठेकेदार द्वारा दोनों साइडों की पार्किंग व्यवस्था में कोई भी दुकान,रेहड़ी पट्टा,उठाउ पल्ली आदि नहीं लगाई जावेगी ।
12. पार्किंग स्थल पर पानी,बिजली जनरेटर व फैंसिंग की समस्त व्यवस्थाएँ ठेकेदार को अपने स्तर पर करनी होगी ।
13. वाहनों को सुरक्षित रखने का समस्त उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा । किसी भी प्राकृतिक विपदा पर वाहन जो संवेदक की सुरक्षा में रखे गये है कि हानि पर पर उसका हर्जाना भरने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी, इस हर्जाने की भरपाई के लिये संवेदक चाहे तो स्टेण्ड का बीमा करवा सकता है । बीमें की किस्त का वहन संवेदक को करना होगा ।
14. संवेदक के संरक्षण मे वाहन खो जाने पर वाहन आदि का उचित मूल्य संवेदक को देना होगा । पार्किंग स्थल से वाहन गुम हो जाने पर उसका समस्त दायित्व संवेदक अनुबन्धकर्ता का होगा इसमें देवस्थान विभाग की किसी भी प्रकार से कोई जिम्मेदारी नहीं होगी । वाहन सुरक्षा बाबत आवश्यक सी0सी0 टीवी कैमरे व अन्य आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था संवेदक अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे से करेगा । देवस्थान विभाग स्तर का समस्त बकाया निपटारा नहीं होने तक संवेदक की जमा धरोहर राशि वापिस नहीं होगी ।
15. निर्धारित पार्किंग स्थल को ठेकेदार सिर्फ वाहन खड़ा करने के लिये काम में लेगा उसका अन्य किसी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियों के रूप में उपयोग नहीं कर सकेगा ।
16. निविदादाता को व्यवस्था बनाये रखने के लिये वाहन पार्किंग की जगह की पर्याप्त बेरीकेडिंग करवाने/खाई खुदवाने का कार्य स्वयं के खर्चे पर करवाना होगा जिसमें पेड़ या पोधों को हानि नहीं पहुँचाई जावे।ऐसा पाये जाने पर ठेकेदार की अमानत राशि को जब्त किया जा सकेगा ।

17. ठेकेदार को पार्किंग स्थल पर निजी खर्च पर बोर्ड लगाने होंगे जिसपर शुल्क आदि का विवरण अंकित करना होगा बोर्ड नहीं लगाने की स्थिति में ठेकेदार पर पेनेल्टी लगाई जावेगी ।
18. ठेका की अवधि तीन वर्ष तक के लिए रहेगी जिसको आवश्यकता पडने पर नियमानुसार बढ़ाया जा सकेगा । प्राकृतिक आपदा/महामारी की स्थिति में घोषित अवधि के लिए संपदा अतिरिक्त रूप से किराये पर दी जा सकेगी ।
19. शर्तयुक्त बोली दर मान्य नहीं होगी ।
20. बोली की अन्य शर्तें/विवरण की जानकारी किसी कार्य दिवस को कार्यालय मे प्राप्त की जा सकती है ।
21. अधिकतम बोली/सर्वाधिक लाभप्रद बोली को स्वीकृत किया जायेगा ।

शर्तें:-भाग ब

22. सर्वेदक द्वारा प्रस्तुत विभिन्न पंजीकरण विवरण :-प्रपत्र

क.स.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	सलंगन क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2	कर्मचारी भवष्यि निधि अधिनियम, 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4	वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.)				
5	आधार कार्ड नंबर व पैन नंबर				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

निविदादाता के हस्ताक्षर

शर्तें भाग स -

1. बोलीदाता की पात्रता व आर्थिक स्थिति :-बोलीदाता आपराधिक पृष्ठ भूमि का नहीं होना चाहिये । किसी तथ्य अथवा सूचना को छिपाने या गलत रूप में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।
2. यदि कोई साझेदारी फर्म बोली लगाती है तो बोलीदाता फर्म को बोली लगाते समय रजिस्टर्ड साझेदारी संलेख प्रस्तुत/अपलोड करनी होगी, अन्यथा बोली में भाग नहीं ले सकती ।
3. जिस व्यक्ति/साझेदारी फर्म के नाम अधिकतम बोली प्रस्ताव स्वीकृत होगा उसको धरोहर राशि के रूप में तीन माह की अग्रिम किराये की राशि आगामी कार्य दिवस को डी.डी.(डिमांड ड्राफ्ट) के द्वारा जमा करानी होगी अन्यथा बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी ।



parking tender 2022-23

4. अधिकतम बोलीदाता के स्वीकृति हेतु प्रस्ताव आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर को प्रेषित किये जाएंगे। आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर से स्वीकृति प्राप्त होने तक बोलीदाता को इन्तजार करना होगा। यदि यह स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तो बोलीदाता अपनी बोली प्रतिभूति व अग्रिम जमा राशि बिना ब्याज के वापस प्राप्त कर सकता है। इस अवधि के इन्तजार नहीं किये जाने पर या संपदा की जरूरत नहीं होने पर बोलीदाता संपदा किराये पर नहीं लेना चाहे तो बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई अग्रिम राशि मय बोली प्रतिभूति को जब्त कर लिया जाएगा। जिसमें बोलीदाता किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं कर सकेगा।
5. अधिकतम बोलीदाता के नाम संपदा निर्धारित राशि पर देने की स्वीकृति होने पर जरिये पत्र उनको सूचित किया जाएगा कि वह आकर संपदा का नियमानुसार कब्जा प्राप्त करें। यदि उक्त पत्र अधिकतम बोलीदाता द्वारा नहीं लिया जाएगा, तो उसके द्वारा सूचित मोबाईल नम्बर, ई-मेल आई.डी. पर सूचना प्रेषित करते हुए पत्र संपदा पर चस्पा कर दी जाएगी तथा विभागीय वेबसाईट पर डाल दिया जाएगा, फिर भी पत्र में वर्णित अवधि में संपदा का कब्जा प्राप्त नहीं किया गया, तो यह मान लिया जाएगा कि वह संपदा किराये पर नहीं लेना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जमा कराई गयी अग्रिम धरोहर राशि जब्त करके संपदा पुनः ठेके पर दिये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
6. पार्किंग संपदा ठेके पर देने की सक्षम स्वीकृति की सूचना अधिकतम बोलीदाता को मिलने के पश्चात् 7 दिन के अन्दर उसे अनुबंध पत्र निष्पादित करना आवश्यक होगा तथा निर्धारित अवधि में अनुबंध पत्र निष्पादित नहीं करने पर उसका अधिकतम बोलीदाता के रूप में हक समाप्त हो जाएगा तथा उसकी बोली प्रतिभूति राशि मय अग्रिम जमा राशि जब्त हो जावेगी एवं विभाग पुनः नयी बोली कर सकेगा अथवा पार्किंग संपदा का उपयोग अन्य विकल्प के रूप में कर सकेगा। अनुबंध पत्र लिखने पर ही संपदा का कब्जा सुपर्द किया जावेगा। अनुबंध पत्र बोलीदाता को स्वयं के खर्च से कराना होगा।
7. अनुबंधकर्ता को उक्त ठेके की राशि के अनुरूप दी जाने वाली निर्धारित आयकर राशि जीएसटी आदि, का भुगतान स्वयं करना होगा एवं जी.एस.टी.आई.एन. नम्बर की प्रति सलंगन करनी होगी। इस प्रकृति के कार्यों के सम्बन्धित अन्य कर आदि का समस्त उत्तरदायित्व स्वयं बोलीदाता का होगा।
8. अनुबंधकर्ता द्वारा बिजली पानी इत्यादि का कनेक्शन विभाग की अनुमति से स्वयं के खर्च पर लेना होगा तथा सम्बन्धित बिल का भुगतान स्वयं ही करना होगा। अनुबंध समाप्ति के समय अनुबंधकर्ता को नो ड्यूज प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उससे बकाया राशि वसूली के साथ-साथ दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। अनुबंध अवधि के दौरान यदि समय पर उक्त राशि का भुगतान नहीं पाया गया, तो भी उससे राशि वसूली के साथ-साथ दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।
9. यदि अनुबंधकर्ता निर्धारित समय पर संपदा रिक्त नहीं करता है या उसकी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाता है या बोली की शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसकी तीन माह के किराये की धरोहर राशि जब्त करते हुए उसके विरुद्ध विधि अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
10. यदि विभाग की अनुमति के पश्चात् भी अगर नगर निगम या राज्य सरकार द्वारा नियमों के प्रावधानों के कारण आपत्ति व्यक्त की गई तो इस संबंध में संपदा संबंधी प्रावधानों एवं नियमों का अवलोकन कर उचित निर्णय लिया जाएगा। बोलीदाता अनुबंधकर्ता द्वारा कारित त्रुटि के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा।
11. अनुबंध पत्र में वर्णित किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर अनुबंधकर्ता के विरुद्ध पार्किंग संपदा से बेदखल करने हेतु देवस्थान विभाग द्वारा राजस्थान अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली अधिनियम 1964 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर पार्किंग संपदा की बकाया राशि की वसूली एवं कब्जा वापस लेने की कार्यवाही की जा सकेगी।
12. ठेके की अवधि में अनुबंधकर्ता की मृत्यु हो जाने की स्थिति में लीज का अनुबंध स्वतः समाप्त हो जाएगा एवं विभाग पार्किंग संपदा का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
13. ठेके राशि का देय होना:-प्रस्तावित नीति के अन्तर्गत बोली में देय राशि के अनुसार तीन माह की अनुमोदित ठेके राशि अग्रिम रूप देय होगी। इसके आगे कुल वार्षिक लीज राशि में से प्रत्येक 3 माह



की राशि भी अग्रिम रूप देय होगी। निर्धारित राशि देय होने के पूर्व माह की 10 तारीख तक देय राशि जमा कराना अनिवार्य होगा।


14. पार्किंग के लिए रुकने वाले वाहनों के लिए प्रक्रिया:- अनुबंधकर्ता को प्रत्येक वाहन को विभाग द्वारा दिए गए पोर्टल पर ऑनलाईन रूप दर्ज करना होगा। यदि किसी कारणवश किसी स्थान विशेष पर नेटवर्क की सुविधा नहीं है तो विभागीय अनुमति से इसमें शिथिलता दी जा सकेगी।
15. पार्किंग की व्यवस्था संबंधी प्रावधान:-
 - (1) संपदा जैसी स्थिति में हो, वैसी स्थिति में दी जाएगी एवं लीज समाप्ति पश्चात् जिस स्थिति में सुपुर्द की गयी थी, उसी स्थिति में विभाग को वापस सुपुर्द करनी होगी। विभाग किसी प्रकार की मरम्मत परिवर्तन आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। विभाग द्वारा अनुबंधकर्ता को समंलाई जाने वाली सामग्री की लिखित सूची प्रदान की जाएगी, जिसे उसे अच्छी स्थिति में वापस करना होगा। इसमें कन्ज्यूमेबल आईटम्स की पृथक् से सूची बनायी जा सकेगी, जिसे वेव-ऑफ किया जा सकेगा।
 - (2) देवस्थान विभाग बीकानेर द्वारा संपदा का समुचित नामकरण किया जा सकेगा।
 - (3) पार्किंग संपदा में अनुबंधकर्ता किसी भी प्रकार का परिवर्तन एवं परिवर्धन विभाग की बिना अनुमति के नहीं करायेगा। संपदा की साधारण रंगाई, सफेदी, एवं मरम्मत आदि विभाग की स्वीकृति पर अनुबंधकर्ता स्वयं के व्यय पर करायेगा। अनुबंधकर्ता को संपदा की समुचित साफ-सफाई के साथ-साथ परिसर में वृक्षारोपण/गमले में फूल लगाने और उनकी देखभाल की व्यवस्था करनी होगी। आवश्यकतानुसार रूफ वाटर/रेन वाटरहार्वैस्टिंग की सुविधा उसकी स्वयं की लागत पर विकसित करने की सुविधा दी जा सकेगी।
16. यदि संपदा के क्षेत्र में किसी राजकीय प्रावधान में परिवर्तन के कारण ठेका अवधि में संचालन में प्रतिबंध लागू होता है तो देवस्थान विभाग बीकानेर द्वारा ठेका अवधि में उक्तानुसार अनुबंध समाप्त किया जा सकता है और यदि ठेकाधारक द्वारा कोई अतिरिक्त राशि जमा की गई होगी तो वह बिना ब्याज के वापस दी जाएगी।
17. देवस्थान विभाग बीकानेर के अधिकारी द्वारा किसी भी समय संपदा और उसके संचालन का निरीक्षण किया जा सकेगा। त्रुटि पाए जाने पर उसे नोटिस देते हुए यथा आवश्यक अनुबंध निरस्त करने अथवा शास्ति लगाने या दोनों की कार्यवाही की जा सकेगी।
18. बोलीदाता को संबंधित विभाग से वांछित लाईसेंस स्वयं प्राप्त करना होगा तथा कक्ष में उसे प्रदर्शित करना होगा।
19. आकस्मिक कार्यो यथा बाढ राहत, चुनाव, महामारी, मेला आदि की दशा में परिसर संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा अस्थाई रूप से अधिगृहीत किया जा सकेगा, जिसका पृथक् से किराया देय नहीं होगा।
20. अनुबंध पत्र के निष्पादन में देय स्टॉम्प-शुल्क और जो भी व्यय होगा, उस सारे व्यय की राशि अदा करने का दायित्व ठेकाधारक का होगा।
21. अनुबंधकर्ता संपदा में किसी प्रकार के परिवर्धन/परिवर्तन अथवा वाहनों के सुविधार्थ साज सज्जा हेतु सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग बीकानेर से अनुमति प्राप्त कर कार्यवाही कर सकेगा।
22. ठेका अवधि को नियमानुसार आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकेगा।
23. अनुबंधकर्ता को संपदा के साईनबोर्ड के उपर स्पष्ट रूप से देवस्थान विभाग बीकानेर द्वारा निर्धारित न्यूनतम साईज की पट्टी पर देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार की संपदा अंकित करना आवश्यक होगा। देवस्थान विभाग द्वारा संपदा का समुचित नामकरण किया जा सकेगा।
24. विभाग द्वारा संपदा जैसी भी स्थिति में है अनुबंधकर्ता को सुपुर्द की जायेगी, विभाग किसी प्रकार की मरम्मत एवं परिवर्तन आदि के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
25. संवेदक एवं अन्य कोई भी व्यक्ति धार्मिक मर्यादाओ के विरुद्ध किसी प्रकार का व्यवसाय जैसे- मांस, मदिरा आदि का व्यवसाय नहीं करेगा। पार्किंग के अतिरिक्त व्यवसाय अथवा कार्य चालू करने से पूर्व विभाग की सहमति लेना आवश्यक होगा।
26. संवेदक परिसर में किसी अमर्यादित सामग्री अथवा कार्यवाही को स्थान नहीं देगा अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

27. देवस्थान विभाग अपनी विभागीय प्रचार सामग्री व सुविधा संपदा में रख सकेगा तथा उसको संवेदक को बिना बाधा के संपदा में सदृश्य रूप में लगाना होगा।
28. विभाग की उक्त वर्णित संपदा एवं आस-पास स्थित विभाग की अन्य संपदा को संवेदक किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा तथा संपदा को सुरक्षित रखेगा। संवेदक राज्य सरकार अथवा देवस्थान विभाग बीकानेर द्वारा बनाई विभागीय नीति से बाध्य रहेगा। राज्य सरकार एवं सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग बीकानेर द्वारा ठेका पर दिये जाने की स्वीकृति में यदि समय की आवश्यकता के अनुसार अन्य कोई शर्त शामिल की जाएगी तो उनसे संबंधित संवेदक (बाध्य) होगा।
29. राज्य सरकार या नगर निगम, नगर विकास न्यास द्वारा यदि संपदा पर कोई शुल्क या कर लगाया जाता है, तो संवेदक को ठेके की राशि के अतिरिक्त उसका भुगतान करना होगा। बोली के उपरान्त किसी प्रकार से आये व्यवधान या कराधान के संबंध में देवस्थान विभाग व संवेदक के मध्य नियमानुसार कोई समझौता किया जा सकेगा।
30. संपदा में बोली के उपरान्त किसी अन्य व्यक्तियों को साझेदार अथवा उप अनुबंधकर्ता नहीं रखेगा। साथ ही उसका उप किरायेदार मान्य नहीं होगा। यदि संवेदक ने शर्तों की अवहेलना की तो नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही विभाग की ओर से कर दी जाएगी।
31. सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, बीकानेर आवश्यकतानुसार सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अधीन बोली की शर्तें राज्य सरकार की पूर्वानुमति से जोड़/हटा सकते हैं।
32. संवेदक के लिये कार्य करने वाले उसके कर्मचारियों पर श्रम विभाग की सभी शर्तें लागू होंगी जिसे संवेदक को मानना बाध्यकारी होगा।
33. ठेके की वर्णित समस्त शर्तें दोनों पक्षों पर लागू रहेगी।
34. इस निविदा बाबत कोई भी अंतिम निर्णय अधोहस्ताक्षरकर्ता के अधीन होगा।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
बीकानेर

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग बीकानेर
तकनीकी बिड प्रपत्र

1	बिड आमत्रित करने वाले विभाग का नाम	सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग बीकानेर
2	बिड का सन्दर्भ UBN (Unique bid number)	
3	कार्य का विवरण	राजकीय आत्म-निर्भर श्रेणी मंदिर श्री राजरतनबिहारीजी मंदिर एवं श्री रसिक शिरोमणि जी रतनबिहारी पार्क बीकानेर के पीछे विभागीय धर्मशाला के पूर्व में 2090 वर्ग मीटर (55X38 मीटर) की खुली भूमि पर तीन वर्ष के लिए किराये पर पार्किंग हेतु
4	ठेके की अनुमानित राशि (एक वर्ष के लिये सभी कर सहित) 90,000 / -मासिक दर के आधार पर	कुल 10,80,000 / -रु० वार्षिक किराया
5	बोलीदाता का विवरण नाम मय पता..... टेलिफोन न. मय एस.टी.डी कोड फेक्स न..... मोबाईल नम्बर एवं. ई-मेल आइडी वैब साईट.....	
6	बिड का प्रकार Single-Stage: two part (cover) open competitive e-bid procedure at http://eproc.rajasthan.gov.in	
6	बिड प्रपत्र की लागत	सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग बीकानेर के पक्ष में कैश रसीद न./ ईग्रास चालान नं./ डी.डी. नं./ बी.सी. नं.दिनांक.....राशि रूपये..बैंक ब्रांच का नाम..... ... (कैश रसीद / ईग्रास चालान / डी.डी. / बी.सी. मूल ही सलग्न करना होगा)
7	बिड प्रतिभूते	सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग बीकानेर के पक्ष में कैश रसीद न./ ईग्रास चालान नं./ डी.डी. नं./ बी.सी. नं.दिनांक.....राशि रूपये..बैंक ब्रांच का नाम..... ... (कैश रसीद / ईग्रास चालान / डी.डी. / बी.सी. मूल ही सलग्न करना होगा)
8	बिडर्स का पंजीयन सम्बन्धित विवरण Constitution of the firm whether/proprietorship/ partnership/company	स्थिति(कम्पनी / संस्था / फर्म / कार्पोरेट बॉडी / वैयक्तिक रूप से पंजीकृत आदि)



	(a) In case of proprietorship firm:-	नाम..... पिता का नाम..... पता..... पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक..... पंजियन अधिकारी का पता..... पंजियन की वैद्यता.....
	(b) In case of partnership firm	नाम..... पिता का नाम..... पता..... Of all the partners (Note-Enclose the Registration certificate of firms of its attested copy/ photocopy of partnership Deed)
	(c) In case of company (Note-Enclose the Registration certificate of company)	Name & Address of the all directors of the company पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक..... पंजियन अधिकारी का पता..... पंजियन की वैद्यता.....
9	प्रोसेसिंग फीस	Managing director RISL Payble at jaipur के नाम राशि
10	जी.एस.टी. आई.एन. पंजीयन क्रमांक	
11	आयकर खाता संख्या एवं पेन नं.	
12	आधार कार्ड नम्बर	
13	बिडर के बैंक खाते का विवरण	खाता संख्या..... बैंक / ब्रांच का नाम..... आईएफएससी कोड.....
14	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम ,पता, फोन नं. एवं मेल आई डी	
15	बिडर का बायोडेटा	एनेक्सर पर संलग्न है

दिनांक:

हस्ताक्षर (बोलीदाता)